

न्यायालय तहसीलदार कठुमार (अलवर) राज.

प्रकरण संख्या 19/1/RAC

दिनांक - 20/10/21

प्रकरण संख्या RA/05/2021

निर्णय दिनांक - 30/11/2021

प्रकरण संख्या RA/05/2021 में प्रस्तुत हुई। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि शिव सिंघाणा
 का आ.ख.नं. 1429 कुल रकमा 0.20 हेक्टेयर जमीन गिरगावा में से 0.01 हे०
 पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर
 किया गया है। इस पर पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 18/10/21
 को उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट मय साईद
 भू.अ.निरी. के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण बर्ज रजिस्टर्ड किया
 जाकर अतिक्रमी गिरगावा सख्य ठोमो जाति जात निवासी सिंघाणा को भू.
 अधिनियम 1966 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किये गये नोटिस की तामील
 उपस्थित आया। जदाय नोटिस पेश किया जो शामिल पत्रायली है।
 उक्त रकमवा आ.ख.नं. 1429 रकमा 0.20 हे० में से 0.01 हे०
 को नियंत्रण के तहत है गिरगावा ठोमो सख्य को अतिक्रमित
 करने पर वेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं एवं दण्ड स्वरूप लगान 7 paise का
 50 गुना 4/- कायदे पैन्सली आरोपित की जाती है मांवा कायमी हेतु टीआरए को लिखा
 जावे पैन्सली वफूली एवं वेदखली हेतु हल्का पटवारी भू.अ.निरी.
 को लिखा जाकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो। निर्णय खुले न्यायालय में
 सुनाया गया।

(Signature)
 तहसीलदार
 कठुमार (अलवर) राज.

प्रतिलिपि :- प. ६

पृ. सं 4 के 117 कम 2
 2021-22 में पकी 4.5
 को कायमी की गइ

(Signature)
 15/11/21
 तहसीलदार